छत्तीसगढ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

—:: आदेश ::—

नया रायपुर , दिनांक : 08/08/2017

क्रमांक : एफ 5—33/2017/18 :— राज्य शासन, एतद् द्वारा मिशन क्लीन सिटी योजना के अंतर्गत डोर टू डोर कलेक्शन, पृथकीकरण तथा कम्पोस्टिंग द्वारा, अपशिष्टों के निपटान हेतु **09 नगर पालिक निगमों में,** आवासीय/व्यवसायिक/आवासीय सह व्यवसायिक एवं अन्य संस्थानों की अनुमानित संख्या को संज्ञान में लेते हुए, कार्य संपादन में मितव्यतता के दृष्टिकोण से, **स्वहसहायता समूहों के सदस्यों की अधिकतम संख्या** निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार निर्धारित करता है :—

क्र.	नगर पालिक निगम का नाम	डोर टू डोर कलेक्शन हेतु आवश्यक मानव बल की संख्या	कम्पोस्ट शेड हेतु आवश्यक मानव बल की संख्या	मिनी टिप्पर हेतु आवश्यक वाहन चालक की संख्या	मिनी टिपर हेतु आवश्यक हेल्पर की संख्या
1	बीरगांव	166	4	21	21
2	दुर्ग	542	4	18	18
3	भिलाई—चरौदा	162	4	16	16
4	धमतरी	156	4	16	16
5	राजनांदगांव	244	4	12	12
6	जगदलपुर	216	4	56	56
7	कोरबा	778	4	24	24
8	रायगढ़	192	4	10	10
9	चिरमिरी	148	4	19	19
योग		**2604**	**36**	**192**	**192**

शर्तें :—

1 इस योजना का मूल उद्देश्य शहरों में जनभागीदारी से स्वच्छ वातावरण निर्मित करना है। साथ ही साथ महिला समूहों के लिए स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करना है। अतएव उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वसहायता समूहों को निरंतर प्रोत्साहित कर, उनके सहयोग के लिए निकाय द्वारा समय—समय पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वसहायता समूहों के सदस्यों को प्रमाण—पत्र वितरित किये जावेंगे।

2 उपरोक्त तालिका अनुसार निकायवार मात्र स्वसहायता समूहों के सदस्य कार्य पर रखे जावेंगे। रेग पिकर्स को भी स्वसहायता समूहों में सम्मिलित कर, कार्य पर रखने में प्राथमिकता दी जावेगी।

3 नगरीय निकाय में मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत, स्वसहायता समूह स्वयंसेवी के रूप में कार्य करेंगे।

4 स्वसहायता समूहों के सदस्यों की अधिकतम संख्या उपरोक्त तालिका अनुसार रहेगी। निर्धारित संख्या के अतिरिक्त सदस्यों को कार्य पर रखने की स्थिति में, संबंधित निकाय के यथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, लेखा प्रभारी तथा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शाखा के प्रभारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे तथा व्यय की गई अतिरिक्त राशि की वसूली संबंधितों से की जावेगी।

5 शासन के आदेश क्र. 2902/1487/2017/18 दिनांक 22.04.2017 के अनुसार स्वसहायता समूहों के सदस्यों को उनके द्वारा पृथकीकरण किया गया, पुनर्चक्रित किये जाने योग्य सूखा कचरा (रिसाईक्लेबल) प्रदान किया जावेगा तथा इसके अतिरिक्त राशि रू. 5000/– प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से मानदेय राशि संबंधित स्वसहायता समूहों को उनके द्वारा प्रस्तुत देयक का परीक्षण करने के उपरान्त मात्र आरटीजीएस द्वारा उनके बैंक खाते में भुगतान की जावेगी। किसी भी प्रकार का नगद/चेक द्वारा भुगतान पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।

6 स्वसहायता समूहों का कार्य आंशिक (पार्ट टाईम) होगा तथा स्वसहायता समूहों के सदस्यों को सफाई मित्र के नाम से संबोधित/उल्लेखित किया जावेगा।

7 निकाय में, मिशन क्लीन सिटी से संबंधित कार्य करने हेतु निर्धारित की गई अधिकतम सदस्यों की संख्या की उपलब्धता के अनुसार, स्वसहायता समूहों की संख्या 01 या उससे अधिक हो सकती है।

8 निकाय में कार्यरत स्वसहायता समूहों को 90 दिवस के समयावधि व्यतीत होने के पूर्व छ.ग. सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

9 निकाय में कार्यरत समूह, एक सोसायटी के समग्र या पृथक–पृथक सोसायटी के रूप में पंजीकरण करा सकते है।

10 निकाय के अधिकारियों द्वारा स्वसहायता समूहों को निर्धारित समयावधि में पंजीयन कराने हेतु यथोचित मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जावेगा।

11 आईसीटी उपस्थिति के आधार पर ही, मानदेय का मासिक भुगतान कार्यरत स्वसहायता समूह/सोसायटी को किया जावेगा।

12 स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 06 माह तक लगभग 46 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में उपलब्ध करायी जावेगी। शेष राशि यूजर चार्जेस से प्राप्त होने वाली समस्त राशि निकाय द्वारा बैंक में एक खाता खोलकर एकत्रित की जावेगी, जिससे स्वसहायता समूहों को मासिक मानदेय का भुगतान किया जावेगा। उपरोक्त राशि का विधिवत लेखा संधारण किया जावेगा।

13 समस्त सफाई मित्रों को प्रथम वर्ष में 02–02 वर्दी, निकाय द्वारा सिलवाकर उपलब्ध करायी जावेंगी, इसके अतिरिक्त गमबूट, मोजा, परिचय पत्र, नेम बेच, रबर एवं कॉटन के दस्ताने, मास्क एवं निर्देशित अन्य सामग्री निःशुल्क प्रदान की जावेगी। इसके लिए निकायों को सूडा द्वारा पृथक से राशि जारी की गई है।

14 उपरोक्त तालिका में दर्शित डोर टू डोर कलेक्शन हेतु स्वसहायता समूह के सदस्य में से प्रत्येक ट्राय सायकल हेतु 02–02 तथा आटो टिप्पर में एक चालक एवं सहायक नियुक्त किया जावेगा। चालक के पास परिवहन विभाग द्वारा जारी यथोचित लायसेंस होना अनिवार्य रहेगा।

15 कम्पोस्टिंग शेड में कार्यरत स्वसहायता समूहों के सदस्यों को डोर टू डोर कलेक्शन करने वाले सदस्यों द्वारा एकत्रित किया गया, 01–01 दिवस का पुनर्चक्रित किये जाने योग्य सूखा कचरा (रिसाईक्लेबल) चक्रानुक्रम (रोटेशन बेसिस) पर प्रदान किया जावेगा, जिसे वे स्वयं विक्रय कर आय अर्जित करेंगे। इसके लिए निकाय द्वारा रोटेशन रजिस्टर तैयार किया जावेगा।

16 आटो टिप्पर के माध्यम से डोर टू डोर कलेक्शन में एकत्रित किया गया पुनर्चक्रित किये जाने योग्य सूखा कचरा (रिसाईक्लेबल) वाहन चालक एवं हेल्पर में प्रति दिवस समान मात्रा में बांटकर लिया जावेगा, जिसे दोनों स्वयं विक्रय कर आय अर्जित कर सकेंगे।

17 डोर टू डोर कलेक्शन हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर पर यूजर चार्जेस का कलेक्शन संबंधित सफाई मित्रों द्वारा किया जावेगा, जिसके 24 घण्टे के अन्दर/अगले कार्य दिवस तक निकाय में जमा कर, पावती प्राप्त की जावेगी। निकाय के कर्मचारी वसूली कार्य में स्वसहायता समूहों के सदस्यों को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इस कार्य हेतु रसीद बुक निकाय द्वारा प्रदान की जायेगी।

18 विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले मानक संचालन विधि (Standard Operating Procedure) अनुसार ही कार्य का संपादन किया जावेगा।

19 एसएलआरएम सेन्टर में निकाय हेतु निर्धारित प्लेसमेंट की अधिकतम सीमा के अतंर्गत 01 रात्रिकालीन चौकीदार तथा 01 सुपरवाईजर मॉनिटरिंग हेतु रखा जावेगा। यह कर्मचारी निकाय के नियमित कर्मचारी भी हो सकते है। इसके लिए पृथक से कोई नियुक्ति किये जाने का प्रतिशेध रहेगा।

20 निकायों में डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य क्रमिक रूप से प्रारंभ किया जावेगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार ही स्वसहायता समूहों के सदस्यों को कार्य पर लगाया जावेगा तथा प्लेसमेंट के अतिरिक्त कर्मचारी भी समानुपातिक रूप से हटाये जावेंगे, ताकि निकाय की स्वच्छता तथा वित्तीय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सके।

21 शासकीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि से समन्वय कर, प्रतिमाह स्वसहायता समूहों के समस्त सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण निकाय द्वारा कराया जाना अनिवार्य होगा।

22 कार्यरत स्वसहायता समूहों को निकायों में प्रचलित भागीरथी नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य शासकीय योजनाओं तथा समूह बीमा योजना आदि की जानकारी समय–समय पर प्रदान की जावेगी तथा संबंधित योजनाओं के दिशा–निदेशों में उल्लेखित पात्रताओं के अनुसार उनका लाभ भी प्रदान किया जावेगा।

23 एसएलआरएम सेन्टर को स्वच्छ तथा साफ–सुथरा रखने की जिम्मेदारी संबंधित स्वसहायता समूहों की रहेगी, जिसका समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा।

24 एसएलआरएम सेन्टर में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (फर्स्ट एड बॉक्स) अनिवार्य रूप से रखा जावेगा। अग्नि दुर्घटना से रक्षा हेतु फायर सेफ्टी यंत्र की व्यवस्था की जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एच.आर. दुबे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ.क्रमांक : एफ 5–33 / 2017 / 18 नया रायपुर दिनांक : 09 / 08 / 2017

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी., नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. विशेष सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग. नया रायपुर।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ.ग.।
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
6. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर / बिलासपुर / अंबिकापुर / जगदलपुर / दुर्ग।
7. अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर / बिलासपुर / अंबिकापुर / जगदलपुर / दुर्ग।
8. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव, दुर्ग, भिलाई–चरौदा, धमतरी, राजनांदगांव, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़ एवं चिरमिरी को पालनार्थ।
9. समस्त आंतरिक अंकेक्षक, नगरीय प्रशासन एव विकास, छ.ग.।
8. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

9. गार्ड फाईल हेतु।

8/8

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग